न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पार्थवी, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 42/17 **GCMS id : 2017/00099**

कन्हैयालाल पुत्र श्री बसन्तीलाल, जाति जाटव, निवासी ग्राम कसार, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 30.09.2021

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   * वादी जाति से जाटव अनुसुचित जाति का सदस्य है और काश्तकार है और अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कृषि कार्य से ही पूरा करता चला आ रहा है।
   * वादी का कब्जा सरकारी भूमि खसरा नम्बर हाल 315 का पुराना 90 व नया रकबा 1.10 हैक्टर है। बारानी प्रथम दर्ज है, खसरा नम्बर 319/1625 चाही दर्ज है जिसका पुराना 79 व नया रकबा 0.07 हैक्टर है व खसरा नम्बर 656/1552 बारनी प्रथम में दर्ज है जिसका पुराना 448 व नया रकबा 0.16 हैक्टर दर्ज है यानि कुल खसरा नम्बर 3 का कुल रकबा 0.33 हैक्टर है, जिस पर वादी का कब्जा गत 40 बर्षों से भी अधिक समय से लगातार आज तक चला आ रहा है।
   * वादी ने उक्त सरकारी भूमि अपने नाम एलोटमेंट कराने के लिये काफी प्रयास किये लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियो ने वादी के हक में उक्त भूमि एलोटमेन्ट भी नही की और रेगूलराईज भी नही की। जबकि वादी सन् 1984 से आज तक उक्त भूमि का ट्रेसफसार की हैसियत से जुर्माना लगातार जमा करता आ रहा है और कब्जा वादी का बदस्तूर है।
   * उक्त आराजी कन्हैयालाल के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314 के अड़वा 315, खसरा नम्बर 319 के अड़वा 319/1625, खसरा नम्बर 656/1551 के अड़वा 656/1551 नक्शा मौका में दर्ज है। और इस भूमि का कन्हैयालाल गत 40 वर्षों से लगातार काश्त करता चला आ रहा है और कन्हैयालाल ने अपनी मेहनत और पैसे खर्च कर उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाया है।
   * कन्हैयालाल उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से नायब तहसीलदार साहब ने हर वर्ष के हिसाब से गत 40 वर्षों से लगातार धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस का जुर्माना अदा करते चले आ रहे है और कब्जा बरकरार चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

* उक्त भूमि स्ट्रीम ऑफ लेण्ड की परिभाषा में आती है क्योंकि कन्हैयालाल के खाते की जमीन के अडवा है और खातेदार कन्हैयालाल उक्त भूमि को एलोट कराने का कानूनी तौर पर अधिकारी है।

* राज्य सरकार क विरूद्ध 30 वर्षों की अवधि के बाद कन्हैयालाल को कानूनी तौर पर उक्त भूमि पर कब्जा होने से कानूनी तौर पर रेगूर्राईज होने व खातेदार होने का अधिकार प्राप्त हो गया है। वैसे भी राज्य सरकार ने समय–समय पर कृषि अतिक्रनियो को नियमानुसार रेगुर्राईज भी किया है लेकिन कन्हैयालाल को नियमानुसार रेगुलर्राज नही किया इसमें कन्हैयालाल की कोई गलती नही है। जबकि इसी भूमि के पास खसरा नम्बर 614/1553 जिसका रकबा 0.20 हैक्टर को राज्य सरकार की और से सन् 2000 में नियमानुसार वादी कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री बसन्तीलाल जी निवासी ग्राम कसार नायब तहसील मण्डाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के खाते दर्ज की है। लेकिन बकाया मौजूदा आराजी जिसके बाबत यह नोटिस दिया है उस पर भी लगातार कब्जा होने के बावजूद नियमानुसार रेगुलर्राईज नही किया गया है। जिसके लिये नोटिस धारा 80 सीपीसी है इसके अलावा कन्हैया लाल पुत्र स्व0 बसन्तीलाल जी निवासी ग्राम कसार नायब तहसील मण्डाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा शारिरिक तौर पर डिसएबल (विकलांग) है, जिसके आधार पर रेगूर्राईज होने का अधिकारी है।

* वाद हेतुक माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है क्योंकि राज्य सरकार को वादी की और से धारा 80 सीपीसी जाप्दा दीवनी दिनांक 20.03.2017 का रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया जिसकी मियाद 2 माह दिनांक 21.05.2017 को समाप्त हो चुकी है। वाद हेतु कानूनी नोटिस की मियाद दिनांक 21.05.2017 को समाप्त होने पर माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। जिसे सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

* अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर नया 315 पुराना 90 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 319/1625 पुराना 79 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 656/1552 पुराना 448 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की रकबा 0.33 हैक्टर वादी को खातेदारी अधिकार देते हुये वादी को एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे क्योंकि राज्य सरकार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन की मियाद 30 वर्ष होती है। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें कि उक्त भूमि वादी को अलोटमेन्ट करे या रेगूलाईज करे।

* वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वादपत्र के साथ, प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये –

(a) प्रदर्श–1 आंशिक नकल नक्शा ग्राम कसार दिनांक 19.09.2016
(b) प्रदर्श–2 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण (प्रपत्र पी.14), संवत 2072, वर्ष 2015–16
(c) प्रदर्श–3 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण (प्रपत्र पी.14), संवत 2071, वर्ष 2014–15
(d) प्रदर्श–4 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण (प्रपत्र पी.14), संवत 2070, वर्ष 2013–14
(e) प्रदर्श–5 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण (प्रपत्र पी.14), संवत 2070, वर्ष 2012–13

2. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार (जर्ये तहसीलदार) की तलवी हेतु नियमानुसार सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने और न ही कोई जवाब आदि पेश किया गया, फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6'(क) सीपीसी के अनुसार

सहायक कलक्टर
(न्यायालय) कोटा

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप, प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

3. वादी की ओर से ग्राम कसार निवासी गवाह कन्हैयालाल पुत्र बसन्तीलाल, रामदयाल पुत्र किशनलाल, किशन गोपाल पुत्र श्रवणलाल के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। तदुपरान्त प्रकरण पर वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के खाते की आराजी के अडवा स्थित विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 90, 79, 448 के नये खसरा नम्बर 315, 319/1625, 656/1552 कुल किता 3 रकबा 0.33 हैक्टर पर वादी का गत 40 वर्षो से कब्जा है। उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से वादी लगातार धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस का जुर्माना अदा करता चला आ रहा है तथा विवादित आराजी पर वादी का कब्जा बरकरार चला आ रहा है। 30 वर्षो के लगातार कब्जे के बाद वादी को खातेदार होने के अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः ग्राम कसार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर नया 315, 319/1625, 656/1552 कुल किता 3 की रकबा 0.33 हैक्टर पर वादी को खातेदारी अधिकार देते हुये वादी को एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें कि उक्त भूमि वादी को रेगूलाईज करे।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने गत 40 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना रागीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा धारा 88, 188 के लिये वाद पेश किया गया है। धारा 188 आरटीए के अन्तर्गत केवल खातेदार ही दावा पेश करने हेतु अधिकृत है। प्रस्तुत वाद में वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि अतिक्रमी को किसी भी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

कन्हैयालाल पुत्र श्री बसन्तीलाल, जाति जाटव, निवासी ग्राम कसार, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 42 / 17
GCMS id : 2017/00099
निर्णय दिनांक : 30-09-2021

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–09–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा धारा 88, 188 के लिये वाद पेश किया गया है। धारा 188 आरटीए के अन्तर्गत केवल खातेदार ही दावा पेश करने हेतु अधिकृत है। प्रस्तुत वाद में वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि अतिक्रमी को किसी भी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद बादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 30.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्च

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	